पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) अप्रैल से दिसम्बर, 1993 के दौरान पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल का उत्पादन क्रमशः 2.66 एम एम टी, 13.85 एम एम टी और 4.04 एम एम टी था। चूंकि देश पैट्रोल में आत्म-निर्भर है इसलिए उक्त अवधि के दौरान इसका कोई आयात नहीं किया गया जबकि उपर्युक्त अवधि के दौरान डीजल और मिट्टी का तेल का आयात क्रमशः 5.15 एम एम टी और 2.68 एम एम टी था। डीजल और मिट्टी के तेल का आयात कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन के तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ सशर्त निविदाओं के अन्तर्गत किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कंपनियों से मौके पर खरीद भी की जाती है। मौके पर खरीद हमेशा किसी विशिष्ट देश से नहीं की जाती।

(ख) फिलहाल देश पैट्रोल में आत्म निर्भर है। इस समय कार्यान्वियनाधीन विभिन्न रिफाइनरियां और क्षमता विस्तार परियोजनाओं के पूरा होने पर मिट्टी के तेल के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त होने का अनुमान है। परन्तु वर्तमान अनुमानों के अनुसार डीजल का उत्पादन मांग की तुलना में कम बना रहेगा।

(ग) देश के बकाया निकासी योग्य तेल भंडार, आयल इंडिया लि० के लिए 1-1-1993 को स्थिति के अनुसार और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 1-1-1994 को स्थिति के अनुसार 774.12 मि०मी० टन थे तेल का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों के भूस्थित क्षेत्रों में तथा देश के पश्चिमी अपतटीय और पूर्वी तटीय भागों से किया जा रहा है फिलहाल प्रचालन कर रही रिफाइनरियां निम्नानुसार हैं :

1. ओई ओ सी–डिगबोई
2. बी पी सी एल–बम्बई
3. एच पी सी एल–बम्बई
4. एच पी सी एल–विजाग
5. आई ओ सी–गुवाहटी
6. आई ओ सी–बरौनी
7. आई ओ सी–कोयाली
8. आई ओ सी–हलदिया
9. आई ओ सी–मथुरा
10. सी आर एल–कोचीन
11. एम आर एल–मद्रास
12. बी आर पी एल–असम
13. एम आर एल–नारीमनम

(घ) अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने के लिए ओ एन जी सी द्वारा अल्पावधिक और मध्यावधिक उपाए शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अनेक नई तेल क्षेत्र विकास परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। देश में तेल अन्वेषण के लिए और अन्वेषित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने निजी भारतीय और विदेशी कम्पनियों को भी आमंत्रित किया है।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा देश के पूर्वी भाग में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किया जाना

1184. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा देश के पूर्वी भाग में 6 मिलीयन टन क्षमता वाले एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस तेल शोधक कारखाने की स्थापना हेतु स्थान के लिए इलाहाबाद का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद/वाराणसी में एक रिफाइनरी की स्थापना की मांग की थी। तकनीकी आर्थिक अध्ययनों से यह स्थान व्यवहार्य नहीं पाया गया।

Defaulting L.P.G. Agencies in M.P.

1185. SHRI DILIP SINGH JUDEV : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state

(a) what is the number of LPG agencies which has been selling duplicate Gas cylinders to consumers in Madhya Pradesh district-wise during the last three years;

(b) the action taken against those who have been found guilty;

(c) district-wise details of the source of getting duplicate gas cylinders by the agencies; and

(d) the action taken against the companies manufcturing duplicate cylinders.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA) : (a) and (b) Inspections are carried out by field staff of LPG marketing companies to detect circulation of spurious cylinders with the distributors and transporters, etc. However, it is possible to detect spurious cylinders mostly at the bottling plants, where they are crushed and destroyed. When transporters and distributors are found in possession of and sellig or circulating spurious cylinders, warning is issued to them and a penal recovery of Rs. 1,500 per spurious cylinder is made from them. The information regarding the LPG distributors who have been debited with penalty on detection of spurious cylinders is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) Spurious cylinders are injected into the system by unidentified unscrupulous elements, after procuring the same from cylinder manufacturers. When approved and licensed cylinder manufacturers are found to manufacture and supply spurious cylinders, further procurement of cylinders from them by the Oil Industry is suspended and statutory approvals are with drawn. Police action against such manufacturers and those found involved in circulation of spurious cylinders is also taken. Suspected premises are raided and offenders are arrested and supurious cylinders seized.

Purchase of cylinders has been suspended from eight cylinder manufacturers at present for involvemeat in manufacture/supply of spurious cylinders as follows :

1. Veejay Metal Products Private Limited Andhra Pradesh.

2. Mullur Cylinders Private Limited, Belgaum.

3. Mullur Engineers Private Limited. Halol.

4. Associated Cylinder Industries Private Limited. Jammu.

5. International Cylinders Private Limited, Himachal Pradesh.

6. Punjab Gas Cylinders Limited, Punjab

7. Tirupati Cylinders Private Limited, Uttar Pradfsh.

8. Everest Cylinders Private Limited, Utta, Pradesh.

Dealership of Petroleum Products from Government's Discretionary Quota

1186. SHRI NYODEK YONGGAM : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) the number of recommendations received from MPs by the Ministry in connection with the allotment of LPG, Petroleum and SKO outlet dealership to enterepreneurs during the last two years i.e. 1992-93 and 1993-94; and

(b) how many such dealerships have been allotted from the Government's discretionary quotas with details of the names of beneficiaries and their State-wise location ?